के.आर. मोहन रेड्डी

बनाम

मैसर्स नेटवर्क आईएनसी. आर.ई.पी. टी.आर.एम.डी.,

26 सितंबर, 2007

(एस.बी. सिन्हा और एच.एस.बी.डी.आई. जे.जे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

आदेश 41, नियम 27 (1) (कक) और (ख)-अपीलीय स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदन-प्रतिपक्ष को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया-उच्च न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई के समय आवेदन को सुनवाई हेतु रखा गया-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न्यायालय की आवश्यकता है तथा/अथवा या अन्यथा पर्याप्त कारण के लिए आवश्यक है"-अभिनिर्धारित किया गयाः उच्च न्यायालय आदेश 41, नियम 27 के प्रावधानों को अपने सही परिप्रेक्ष्य में लागू करने में विफल रहा-यह इस आधार पर आगे बढ़ा जैसे कि नियम 27(1) (कक) उपनियम (ख) इस पर लागू होता हो-नियम 27 के उपनियम (1) के खण्ड (कक) में वर्णित पूर्ववर्ती शर्त खण्ड (ख) से भिन्न हैं-उच्च न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार किया गया-निर्णय में दिए गए निर्देशानुसार पक्षकारान् के द्वारा

शपथ पत्रों केआदान-प्रदान के पश्चात् विधिनुसार आवेदन का निपटारा किया जाएगा।

प्रतिवादी फर्म ने कुछ राशि की वसूली के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वादी-प्रत्यर्थी का मामला यह था कि पक्षकारान् ने आपस में साझेदारी की। उक्त साझेदारी का पुनर्गठन किया गया, और उसके बाद प्रत्यर्थी अपीलकर्ता ने कुछ कार्य निष्पादन के लिए प्रत्यर्थी फर्म को सौंप दिए। यद्यपि, अपीलकर्ता उक्त फर्म से एक भागीदार के रूप में सेवानिवृत्त हो गयाथा, फिर भी उसने प्रत्यर्थी फर्म से उसके नाम पर आवंटित कार्य जारी रखने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी फर्म द्वारा कार्य का निष्पादन किया गया और अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी फर्म के पक्ष में एक चैक जारी किया लेकिन वह चैक बाउन्स हो गया। प्रत्यर्थी-अपीलकर्ता की दलील थी कि वह पहले ही फर्म से सेवानिवृत्त हो चुका था; पक्षकारान् के मध्य सभी खातों का व्यापक रूप से निपटारा किया गया था और चैक को धोखाधड़ी तथा जालसाजी से प्राप्त किया गया था। विचारण न्यायालय ने बिना इस विशिष्ट विवाद्यक को विरचित किए कि क्या चैक धोखाधड़ी और जालसाजी का परिणाम था, मुकदमे को खारिज कर दिया। अपील में वादी-प्रत्यर्थी फर्म ने अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए आदेश 41 नियम 27 के तहत एक आवेदन दायर किया। अपीलीय अदालत ने उक्त आवेदन पर कोई नोटिस जारी नहीं किया, जिस पर अपील की सुनवाई के साथ ही

विचार किया गया। अपीलीय न्यायालय ने अंततः आक्षेपित निर्णय द्वारा यह माना कि वादी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य को पेश करने हेतु दायर किए गए आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि यह न्यायालय की आवश्यकता थी तथा/या अन्यथा किसी पर्याप्त कारण के लिए आवश्यक थी।

प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई त्वरित अपील में यह तर्क दिया गया कि वादी-प्रत्यर्थी का आवेदन आदेश 41 के नियम 27(1) के खण्ड (कक) पर आधारित था और उच्च न्यायालय ने नियम 27(1); के खण्ड (ख) पर विश्वास कर त्रुटि कारित की है और यह कि उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करने से पहले, अपीलकर्ता को उक्त आवेदन की पोषणीयता के संबंध में आपत्ति दर्ज करने का कोई अवसर नहीं दिया।

न्यायालय ने अपील का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित कियाः-

1. उच्च न्यायालय आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रावधानों को सही परिप्रेक्ष्य में लागू करने में विफल रहा। यह इस आधार पर आगे बढ़ा जैसे कि सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के उपनियम (1) का खण्ड (ख) इस पर लागू होता हो। इसके तहत अपीलीय अदालत की कोई भी आदेश को पारित करने की शक्ति सीमित है। अब यह एक सामान्य कानून है कि आदेश 41 के नियम 27 के उपनियम (1) के खण्ड (कक) को लागू करने की पूर्ववर्ती शर्त खण्ड (ख) को लागू करने से भिन्न है। यदि पहले प्रावधान

को लागू करने पर विचार किया जानाहै, तो आवेदक को यह दिखाना होगा कि उसमें उल्लेखित सामग्री अथवा पूर्ववर्ती शर्तें पूरी कर ली गई हैं। दूसरी ओर, यदि सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) को माना जाना है, तो अपीलीय न्यायालय रिकॉर्ड पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य पर विचार करने और एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य था कि अतिरिक्त साक्ष्य, जैसे कि अपीलकर्ता के द्वारा आवेदन किया गया है, को पेश करना आवश्यक था। यह तथ्य कि उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा, यह कानून को गलत दिशा देने जैसा है। [पैरा संख्या 15, 17, 18 तथा 19] [877-ई, एच, एफ; 878-ए-डी]

गुजरात सरकार बनाम महेन्द्र कुमार परशोत्तम भाई देसाई (मृतक) जरिए विधिक प्रतिनिधि, [2006] 9 एस.सी.सी. 772, में प्रतिपादित सिद्धांत को माना गया है।

1.2 अपीलीय अदालत को विचारण न्यायालय के समक्ष असफल पक्ष द्वारा पेश किए गए कमजोर साक्ष्य को पूरा करने के लिए आदेश पारित नहीं करनाचाहिए, लेकिन यदि न्यायालय को स्वयं पक्षकारान् के मध्य न्याय करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है, तो यह अलग बात है। निर्णय सुनाने की क्षमता को न्यायालय के विचार में संतुष्टिपूर्वक निर्णय सुनाने की क्षमता के रूप में समझा जाना चाहिए। लेकिन केवल कठिनाइयां ही ऐसा निर्देश जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि, ऐसा कहने का

मतलब यह नहीं है कि उचित प्रक्रम पर न्यायालय को खण्ड(ख) में प्रयोज्यता पर विचार नहीं करना चाहिए। [पैरा संख्या 21] [878-एच; 879-ए-बी]

1.3 आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता। इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है। प्रत्यर्थी आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत अपने आवेदन के समर्थन में अतिरिक्त हलफनामा दायर कर सकता है और उसके बाद, अपीलकर्ता मूल आवेदन के साथ-साथ अतिरिक्त हलफनामा, यदि कोई हो, दोनों पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल कर सकता है। [पैरा संख्या 22] [879-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4588/2007

2006 के सीसीसीए एमपी की संख्या 239 तथा 2004 के सीसीसीए संख्या 253 में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 20.09.2006 के विरुद्घ।

अपीलकर्ता की ओर से राकेश द्विवेदी, अम्मन डी.एन.राव और रीता गुप्ता उपस्थित।

प्रत्यर्थी की ओर से उदय यू. ललित, पी.एस. नरसिम्हा, सोमिरन शर्मा, एल, रश्मानी मंदाकिनी और अरिबम गुणेश्वर शर्मा उपस्थित।

एस.बी. सिन्हा, न्यायाधिपति के द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

अनुमति दी गई।

(1) यह अपील सी.सी.सी.ए. संख्या 253/2004 में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय तथा आदेश दिनांक 20.09.2006 के खिलाफ निर्देशित है और अतिरिक्त साक्ष्य को पेश करने हेतु आवेदन को सिटी सिविल कोर्ट के वर्ष 2006 की अपील विविध याचिका संख्या 239 के रूप में चिन्हित किया गया, जिसके तहत प्रतिवादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत दायर किए गए आवेदन को स्वीकार किया गया था।

(2) पक्षकारान् ने साझेदारी की शुरुआत की। उक्त साझेदारी का दिनांक 01.07.1994 को पुनर्गठन किया गया। वादी-प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि पुनर्गठित साझेदारी विलेख के अनुसार अपीलकर्ता ने कुछ कार्यों को निष्पादन के लिए प्रत्यर्थी फर्म को सौपा था। यह भी विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता उक्त फर्म से भागीदार के रूप में सेवानिवृत्त हुआ। हालांकि, यह तर्क दिया गया है कि अपनी सेवानिवृत्ति के बावजूद, अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी से उसके नाम पर आवंटित कार्य को जारी रखने का अनुरोध किया था ताकि उसके टर्नओवर की रक्षा की जा सके और एक विशेष श्रेणी के ठेकेदार के रूप में उसके पंजीकरण को जारी रखा जा सके। इसकेअलावा,

प्रत्यर्थी का मामला यह था कि अपीलकर्ता को उसे खम्मम परियोजना के बदले में भुगतान करना था। इसके अनुसार खम्मम परियोजना के खातों के निपटान पर अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी फर्म को 38,82,000/- रुपए देय होना पाया गया।

(3) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी का तर्क यह है कि हैदराबाद में मंत्री के क्वाटर के निर्माण के संबंध में, अपीलकर्ता ने 8,00,000/- रुपए और 5,25,316/- रुपए का भुगतान किया था। इसमें दावा किया गया कि अपीलकर्ता पर विजयवाड़ा कार्य के संबंध में 8,03,350/- रुपए बकाया थे।

(4) प्रत्यर्थी के अनुसार, अपीलकर्ता ने 34,82,000/- रुपए का एक चैक खम्मम परियोजना के संबंध में फर्म के पक्ष में एक कवरिंग लेटर के साथ जारी किया, जिसमें अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी को यह आश्वासन दिया कि वह विभाग के साथ खातों को अंतिम रूप देने के बाद अन्य दो परियोजनाओं से संबंधित खातों का निपटारा करेंगे। उक्त चैक अनादरित हो गया।

(5) उपरोक्त आधार पर दिनांक 21.01.2002 को या उसके आस पास प्रत्यर्थी के द्वारा रुपए 50,74,109/- मय 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वसूली का दावा दायर किया गया।

(6) अपीलकर्ता ने अपने लिखित बयान में, वादी-प्रत्यर्थी की उपरोक्त दलीलों को नकारते और विवादित करार करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ यह दावा किया कि चैक धोखाधड़ी, जालसाजी तथा किसी श्री के. रमेश रेड्डी और श्री के.वाए.एस. सुब्रमण्यम, प्रतिवादी के प्रबंध भागीदार की, मिलीभगत से प्राप्त किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा यह भी दावा किया गया था कि वह दिनांक 12.01.2000 को साझेदारी से सेवानिवृत्त हो गया था और पक्षकारान् के बीच सभी खातों का व्यापक निपटारा किया गया था, जिससे सेवानिवृत्ति के विलेख में भी दर्ज किया गया था।

(7) विचारण न्यायालय ने एक सामान्य विवाद्यक विरचित किया कि क्या वादी किसी राशि के हकदार हैं और इस संबंध में कोई विशिष्ट विवाद्यक नहीं बनाया गया कि उक्त चैक धोखाधड़ी और जालसाजी का परिणाम था। हालांकि, विद्वान् विचारण न्यायाधीश, ने मुकदमे को निम्नानुसार खारिज कर दियाः

1. प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के खम्मम और विजयवाड़ा परियोजनाओं का कार्यभार स्वीकार किया।

2. सेवानिवृत्ति विलेख के खण्ड 8 में प्रत्यर्थी के पास लंबित कार्य और भविष्य में दी जाने वाली राशि का उल्लेख नहीं है।

3. वादी ने यह साबित करने के लिए अपने खाते पेश नहीं किए कि वादी ने खम्मम अस्पताल का पूरा कार्य निष्पादित किया है।

4. प्रत्यर्थी के द्वारा वादी के विरुद्ध सेवानिवृत्ति के पश्चात्(07.06.2000 तथा 13.07.2000) वादी को दी गई राशि की वसूली के लिए दायर किए गए मुकदमे के निस्तारण के लंबित रहते हुए यह मानना मुश्किल है कि प्रत्यर्थी ने उपरोक्त लेन देन के तहत देय राशि के लिए अपनी सेवानिवृत्ति के बाद कोई पैसा चुकाया हो।

5. ऐसी संभावना है कि चैक बेईमानी से प्राप्त किया गया था।

(8) प्रत्यर्थी ने इसके विरुद्ध अपील दायर की। निर्विवादित रूप से, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत एक आवेदन दिनांक 22.03.2006 को दायर किया गया था।

(9) हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। तथाकथित आवेदन अपील की सुनवाई के साथ विचारण के लिए आया था।

(10) पक्षकारान् की सहमति से मुख्य अपील पर ही सुनवाई होनी थी।

(11) आक्षेपित निर्णय के कारण, हालांकि, उच्च न्यायालय ने विद्वान् विचारण न्यायाधीश के निष्कर्षों और इस क्षेत्र में दिए जा रहे

विभिन्न निर्णयों पर ध्यान दिया, और अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि प्रत्यर्थी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्यों को शामिल करने के लिए पेश आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न्यायालय की आवश्यकता थी तथा/अथवा यह अन्यथा पर्याप्त कारणों के लिए आवश्यक थी।

(12) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी, अन्य बातों के अलावा, यह पेश किया कि उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पहले अपीलकर्ता को उक्त आवेदन-के संबंध में आपत्ति दर्ज करने का अवसर नहीं दिया था।

(13) किसी भी स्थिति में विद्वान् अधिवक्ता का तर्क रहा कि प्रत्यर्थी का आवेदन सीपीसी के आदेश 41 के नियम 27 के उपनियम (1) के खण्ड (कक) पर आधारित होने के कारण उच्च न्यायालय ने इसके खण्ड (ख) पर भरोसा करने में गंभीर त्रुटि की है।

(14) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उदय उमेश ललित का कहना है कि यदि प्रत्यर्थी का मामले को उसके वाद पत्र में दिए गए विद्वान् विचारण न्यायाधीश के निष्कर्षों पर पूरी तरह से विचार किया जाता है, तो उच्च न्यायालय का विचार सही था।

(15) हमारी राय में, उच्च न्यायालय सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के प्रावधानों को सही परिप्रेक्ष्य में लागू करने में विफल रहा। आदेश 41 के नियम 27 के उपनियम (1) के खण्ड (क), (कक) और (ख) तीन अलग-अलग स्थिति को संदर्भित करते हैं। इसके तहत कोई भी आदेश पारित करने की अपीलीय अदालत की शक्ति सीमित है। इसके तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोगकरने के लिए, अपीलीय न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि इसके तहत गिनाई गई एक या अन्य शर्तें पूरी कर दी गई हैं। इस बात का भी अच्छा कारण बताना होगा कि विचारण न्यायालय में सबूत क्यों नहीं पेश किए गए।

(16) प्रत्यर्थी ने अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि खातों की किताबे गुम हो गई थीं और इसका पता उक्त आवेदन दाखिल करने से कुछ दिन पहले तक चला था जब कार्यालय स्थानांतरित किया जा रहा था।

(17) दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने उक्त प्रश्नों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। जैसा कि यहां पहले बताया गया है, उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा जैसा कि सीपीसी के आदेश 41 के नियम 27 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) इस पर लागू होता हो।

(18) अब यह एक सामान्य कानून है कि आदेश 41 के नियम 27 के उपनियम (1) के खण्ड (कक) को लागू करने की शर्तें खण्ड(ख) से भिन्न हैं। यदि पूर्व प्रावधान को लागू किया जाना है, तो आवेदक को यह

दिखाना होगा कि उसमें उल्लिखित सामग्री या शर्तें पूरी कर दी गई है। दूसरी ओर, यदि सीपीसी के आदेश 41 के नियम 27 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) का सहारा लिया जाना है, तो अपीलीय न्यायालय रिकॉर्ड पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य पर विचार करने और एक उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर आने के लिए बाध्य थीय जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य को शामिल करने की प्रार्थना आवश्यक थी।

(19) यह तथ्य कि उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा, हमारी राय में, यह कानून को गलत दिशा देने के समान है। इसके अलावा, यदि उच्च न्यायालय अपने विचार में सही है कि वादी-प्रत्यर्थी इस आधार पर आगे बढ़े थे कि मुकदमा पूरी तरह से एक चैक पर आधारित था, तो उसके लिए विचारण न्यायालय के समक्ष खातों की किताबे दाखिल करना आवश्यक नहीं था, इसके विपरीत पाए जाने पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका कि वास्तव में इस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता थी ताकि अपीलीय न्यायालय उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम हो सके।

(20) सर्वोच्च न्यायालय ने *म्युन्शिपल कॉपरेशन ऑफ कॉपरेट बम्बई नगर निगम बनाम लाल पंचम और अन्य* को मानते हुए *गुजरात राज्य बनाम महेन्द्र कुमार परशोत्तम भाई देसाई (मृत) एल.आर.एस {2006} 9 एस.सी.सी. 772* में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

"यद्यपि अपीलीय न्यायालय के पास आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत दस्तावेज प्रस्तुत करने और गवाह से पूछताछ करने की अनुमति देने कीशक्ति है, लेकिन उक्त न्यायालय की आवश्यकता उन मामलों तक ही सीमित होनी चाहिए जहां उसे निर्णय सुनाने में सक्षम होने के लिए ऐसे साक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक हो। यह प्रावधान अपीलीय न्यायालय को अपीलीकरण में नए साक्ष्य पेश करने का अधिकार नहीं देता, जहां ऐसे साक्ष्य के बिना भी वह मामले में फैसला सुना सकता है। यहां अपीलीय न्यायालय को केवल एक विशेष तरीके से फैसला सुनाने के उद्देश्य से नए साक्ष्य पेश करने का अधिकार नहीं देता है।"

(21) अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के समक्ष असफल पक्ष के साक्ष्य की कमजोरी को दूर करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं करनाचाहिए, लेकिन यह उससे भिन्न होगा यदि न्यायालय को स्वयं पक्षकारान् के मध्य न्याय करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता हो। निर्णय सुनाने की क्षमता को न्यायालय के विचार में संतुष्टिपूर्वक निर्णय सुनाने की क्षमता के रूप में समझा जाना चाहिए। लेकिन केवल कठिनाईयां इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।हालांकि, ऐसा कहते समय हमारा मतलब यह नहीं है कि उचित प्रक्रम पर न्यायालय को खण्ड(ख) की प्रयोज्यता पर विचार करने से रोका जाएगा।

(22) इसलिए, हमारी राय है कि आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता। तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है। प्रत्यर्थी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत अपने आवेदन के समर्थन में अतिरिक्त हलफमाना दाखिल कर सकता है। उसके पश्चात् चार सप्ताह के भीतर, यदि कोई हो, तो अपीलकर्ता मूल आवेदन के साथ-साथ अतिरिक्त हलफनामा भी दाखिल कर सकता है।

(23) हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि वह अपील मामले पर नए सिरे से गुणावगुण के आधार पर कानून के अनुरूप विचार करें।

(24) उपरोक्त टिप्पणियों के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मीनाक्षी अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।